न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 145/2020 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2020/00142

1. नगरपालिका सूरतगढ़, जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. गुरदत्त सिंह पुत्र श्री बूटासिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न 18 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।(मृतक)
1.1 सरजीत कौर पत्नी गुरदत्त सिंह पुत्र श्री बूटासिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न 18 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
1.2. तेज कौर पत्नी गुरदत्त सिंह पुत्र श्री बूटासिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न 18 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
1.3 अमन सिंह पुत्र गुरदत्त सिंह पुत्र श्री बूटासिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न 18 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री बहादुरराम सुथार – अभिभाषक अपीलांट
श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 12.07.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 243/9 में 2.01 बीघा व खसरा नम्बर 243/15 में 10 बीघा कुल तादादी 12.01 बीघा रकबा तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ ने टीसी आवंटन किया था। जो पूर्व में केवल एक वर्ष के लिए बिना कमेटी के गठन के गैर कानूनी तरीके से बिना क्षेत्राधिकार के टी.सी आवंटन के नियमों के विपरित केवल तहसीलदार सूरतगढ़ से अस्थाई आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 02.06.2006 के द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को आवंटित भूमि को पैराफैरी में आने के कारण रकबा राज घोषित कर दिया। तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 02.06.2006 से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुरदत्त सिंह न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश की। उक्त अपील पर निर्णय करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक 11.09.2019 को अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 02.06.2006 को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बहादुर राम सुथार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जैर अपील रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ का टीसी आवंटन नियमों के विरूद्ध था। रेस्पोडेन्ट्स इस रकबे की ना तो कभी रकम जमा कराई गई और ना ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के नाम इस रकबे का नवीनीकरण हुआ। टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही होता हैं। यह रकबा नगर पालिका सूरतगढ़ की 2 किमी की परिधि में आ चुका था। पैराफैरी में आए रकबे का ना तो खातेदारी अधिकार मिल सकते है एवं ना ही टीसी नवीनीकरण किया जा सकता है। टीसी आवंटन निरस्त होने के बाद उक्त भूमि रकबा राज होने पर रकबे की नियमानुसार राशि अपीलांट द्वारा जमा कराने के बाद रकबा नगर पालिका को हस्तांतरित कर कब्जा नगर पालिका सूरतगढ़ को सौंप दिया परंतु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये ही अपील अपीलांट स्वीकार कर ली। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.09.2019 निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में निम्न नजीरात का हवाला दिया हैं–

(अ) आर.आर.डी 1979 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अब्दुल करीम (165)

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री महावीर प्रसाद एवं मदन सुरोलिया ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 02.06.2006 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बिना सुने 45 वर्ष पुराने आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का टीसी आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा है एवं कब्जा रेस्पोडेन्ट्स का लगातार बना हुआ हैं। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णयों में कई अवसरों पर यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टीसी आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं हैं। तहसीलदार ने जिन सरकारी परिपत्रों का हवाला अपने निर्णय में दिया हैं, वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टीसी लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर को दी गई है। टीसी आवंटन को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। नियम 19(ए) की शर्त अनुपालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त करने की शक्तियां जिला कलक्टर में निहित है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने तहसीलदार सूरतगढ़ के पारित आदेश को क्षेत्राधिकार विहीन मानते हुए तहसीलदार सूरतगढ के आदेश दिनांक 02.06.2006 खारिज कर दिया। इस प्रकार अपीलांट को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 11.09.2019 को यथावत रखा जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि केवल मात्र पैराफेरी क्षेत्र में आ जाने से आवंटी के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। हम अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.09.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.09.2019 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर